न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक / निगरानी / भू.रा. / 2018 /
निगरानी-3433/2018/छतरपुर/भू.रा.

रामकिशोर तनय सरूबा अहिरवार निवासी धरमपुर, तहसील चन्दला जिला छतरपुर (म.प्र.)
.... आवेदक

विरुद्ध

राजेश्री तनय बल्देव प्रसाद तिवारी निवासी देवरी तहसील चन्दला जिला छतरपुर (म.प्र.)
.... अनावेदक

<u>निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर / गौरीहार जिला छतरपुर के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 09 / अपील / 17–18 में पारित आदेश दिनांक 7.4.18</u>

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत कर निवेदन करता है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, तहसीलदार के द्वारा दिनांक 30.9.96 को ग्राम देवरी का पट्टा खसरा क्रमांक 61 / 2, 146 / 2 और 152 / 1 का पट्टा विधिवत प्रदान किया गया था तब से ही आवेदक मौके पर काबिज होकर कृषि कार्य कर रहे हैं। अनावेदक द्वारा प्रथम अपील सन् 2017 में लगभग 22 वर्ष उपरांत प्रस्तुत की है जिसके साथ धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3433/2018/छतरपुर/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-06-2018	आवेदक की ओर से श्री प्रदीप श्रीवास्तव अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर जिला छतरपुर के आदेश दिनांक 07-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश से अनावेदकगण की ओर से समय बाह्य प्रस्तुत अपील को समयावधि में मान्य करते हुये प्रकरण तर्क हेतु नियत किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । वैसे भी प्रकरण समय सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर गुण-दोष पर किया जाना चाहिए । ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य	